

क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर

REGIONAL OFFICE, NAGPUR

• तीसरा लिफाफा

पहले और दूसरे लिफाफे को तीसरे लिफाफे में डाल कर सीलबंद करें और उसके ऊपर "जरीपटका शाखा परिसर के लिये सीलबंद निविदा" लिखें तथा उसके ऊपर क्षेत्रीय कार्यालय, दूसरा माला, ओरिएंटल भवन, स्टेशन रोड, नागपुर 440001 (महाराष्ट्र राज्य) पता लिखें. साथ ही लिफाफे पर निविदाकार/रों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर भी लिखा हो.

2. प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय – 26/04/2024 को शाम 5.00 बजे तक

प्राप्त प्रस्ताव को खोलने की तिथि व समय – टेलीफोन पर सूचित किया जायेगा

3. प्रस्तुति का स्थान: क्षेत्रीय कार्यालय, दूसरा माला, ओरिएंटल भवन, स्टेशन रोड, नागपुर 440001 (महाराष्ट्र राज्य)

4. प्रस्ताव बैंक के निर्णय के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालय, दूसरा माला, ओरिएंटल भवन, स्टेशन रोड, नागपुर 440001 (महाराष्ट्र राज्य) में खोले जायेंगे,

5. निविदाकार यह सुनिश्चित करें कि निविदा बैंक को विनिर्दिष्ट तारीख और समय से पूर्व प्राप्त हो. डाक या अन्य कारणों के द्वारा हुए विलम्ब पर विचार नहीं किया जायेगा. विनिर्दिष्ट तारीख और समय के पश्चात प्राप्त निविदाएं अस्वीकार की जाएंगी और यह निर्णय बैंक के संपूर्ण विवेकाधिकार के अधीन होगा

6. सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया बिना कोई कारण बताएं कोई भी निविदा या सभी निविदाएं स्वीकार या अस्वीकार या निरस्त करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है तथा किसी भी तकनीकी की दृष्टि से योग्य निविदाकार/रों की निविदा, जो बैंक ठीक समझे, स्वीकार करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है, भले ही वह न्यूनतम न हो.

7. सिर्फ शर्त रहित निविदा ही स्वीकार की जाएगी. सशर्त निविदाएं अस्वीकार की जाएंगी. यदि कोई निविदाकार, जो कोई शर्त रखना चाहता है और उसमें वित्तीय तात्पर्य है तो वह अपनी निविदा उचित रूप से भरे और निविदा में कोई भी शर्त न रखे.

8. बैंक अपनी आवश्यकता के अनुसार तकनीकी निविदा से प्राप्त सूचना यथा प्रस्तावित साइट का स्थान, प्रस्तावित परिसर का क्षेत्रफल, मुख्य रास्ते से आवाजाही, उपलब्ध पार्किंग जगह, सुविधाएं और अन्य बुनियादी सुविधाएं (लिफ्ट, बैंक अप डीजी सेट, आदि) के आधार पर तथा अन्य आवश्यकताओं के अनुसार निविदाएं शॉर्टलिस्ट करेगा.

9. तकनीकी बोली के आधार पर शॉर्टलिस्टेड निविदाओं की वित्तीय बोलियां किसी अगली तारीख को खोली जाएगी. जिसकी सूचना शॉर्टलिस्टेड निविदाकारों को बाद में दी जाएगी.

10. संभावित प्रस्तावों के चयन के सम्बंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा.

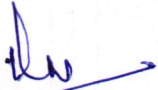
11. विवाद के मामले में बैंक का निर्णय अंतिम और सभी पर बाध्यकारी होगा.

12. किराया: मकान मालिक से कब्जा लेने की तारीख से बैंक किराये का भुगतान शुरू करेगा.

कब्जा लेने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मकान मालिक द्वारा उचित प्राधिकारियों से आवश्यक अधिग्रहण प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है और मकान मालिक द्वारा सहमत किये गये परिवर्तन बैंक की संतुष्टि तक किये गये हैं. परिसर के क्षेत्रफल के आधार पर परिसर की माप संयुक्त रूप से ली जाएगी.

13. पट्टा विलेख का निष्पादन: बैंक द्वारा परिसर पट्टेपर लिये जाने पर पट्टा विलेख का निष्पादन बैंक के निर्धारित प्रारूप में किया जायेगा और उसका पंजीकरण उचित प्राधिकारियों के पास किया जायेगा. पंजीकरण से सम्बंधित स्टैम्प ड्यूटी प्रभार का भुगतान मकान मालिक और बैंक को 50:50 आधार पर करना होगा.

कृते सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया,



क्षेत्रीय प्रमुख
नागपुर

संलग्न – तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा प्रपत्र

क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर

REGIONAL OFFICE, NAGPUR

क्षेका/साप्रवि/2024-25 /..

दिनांक -04/04/2024

परिसर पट्टेपर लेने हेतु निविदा प्रलेख

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर अपनी नई प्रस्तावित **जरीपटका शाखा** नागपुर महाराष्ट्र के लिये मेन रोड पर उचित प्रवेश, पार्किंग सुविधा और 20-25 केवीए पावर 3 फेज कनेक्शन सहित बैंक शाखा हेतु अन्य सभी सुविधाओं के साथ जरीपटका क्षेत्र में अधिमानतः तल मंजिल पर 111.48 से 167.23 वर्ग मीटर (1200 से 1800 वर्ग फुट) ($\pm 20\%$) कार्पेट क्षेत्रफल का उचित परिसर दीर्घावधि पट्टे पर लेने हेतु इच्छुक मकान मालिकों/मुख्तारनामा धारकों से सीलबंद निविदा आमंत्रित करता है।

तकनीकी बोली और वित्तीय बोली का प्रारूप बैंक की वेब साइट <http://www.centralbankofindia.co.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। यह प्रारूप हमारे क्षेत्रीय कार्यालय, दूसरा माला, ओरिएंटल भवन, स्टेशन रोड, नागपुर 440001 (महाराष्ट्र राज्य) में उपलब्ध है और कार्यालय समय के दौरान प्राप्त किए जा सकते हैं।

1. पूर्वयोग्यता के न्यूनतम मानदंड निम्नानुसार होंगे:

- ए. आवेदक परिसर का/के वास्तविक मालिक अथवा मुख्तारनामा धारक होना/होने चाहिए।
- बी. आवेदक आयकर निर्धारित होना/होने चाहिए, उसके/उनके पास पैन नंबर होना चाहिए और और उसकी/उनकी कर विवरणियां अद्यतन होनी चाहिए।
- सी. भवन का निर्माण सक्षम विकास प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत / संस्तुत प्लान के अनुसार किया होना चाहिए। भवन का रख-रखाव उचित होना चाहिए और भवन 20 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
- डी. परिसर प्रमुख व्यवसायिक / रिहाइशी इलाके में उचित आवागमन सुविधा और समर्पित पार्किंग के साथ अधिमानतः तल/प्रथम मंजिल पर लिफ्ट के साथ स्थित होना चाहिए।
- ई. भवन विशेष आपदाओं जैसे आग, पानी भरना, बाढ़ आदि से मुक्त हो।
- एफ. परिसर में 24 घंटे पीने योग्य पानी की सुविधा उपलब्ध हो और स्थानीय महानगरपालिका अधिकारियों से उचित अनुमोदन /स्वीकृति उपलब्ध हो।
- जी. मकान मालिक द्वारा सभी देयों तथा महानगरपालिका, कार्पोरेशन के सभी बकाया तथा अन्य सांविधिक देयताओं का भुगतान किया गया हो।
- एच. परिसर पट्टे पर देने हेतु स्थानीय प्राधिकारियों से अधिग्रहण प्रमाणपत्र (अपार्टमेंट के मामले में) उपलब्ध हो।
- आई. मकान मालिक बैंक को आवश्यक सुधार/परिवर्तन कर, तत्काल खाली परिसर का कब्जा देने की स्थिति में हो।
- जे. इस निविदा हेतु रु 10000/ रु दस हजार की बयाना जमा राशि (ई एम डी) डिमांड ड्राफ्ट के रूप में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नागपुर में देय, जमा करना अनिवार्य है। असफल निविदा का ईएमडी एक माह के अंदर वापिस कर दिया जाएगा।

निविदा प्रस्तुत करने की पद्धति:

प्रस्ताव सिर्फ सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करने हैं।

निविदा के लिफाफों के 3 भाग होंगे।

• पहला लिफाफा

तकनीकी बोली लिफाफा – इस लिफाफे में विधिवत भरा हुआ आवेदन का भाग I जिसके प्रत्येक पेज पर निविदाकार/रों द्वारा हस्ताक्षर किया गया हो, और आवश्यक कागजात संलग्न किये गये हों। लिफाफा सीलबंद हो और उसके उपर “जरीपटका शाखा परिसर के लिए तकनीकी बोली (अनुलग्नक ए के अनुसार)” यह लिखा गया हो। साथ ही लिफाफे पर निविदाकार/रों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर भी लिखा हो।

• दूसरा लिफाफा

वित्तीय बोली लिफाफा – इस लिफाफे में विधिवत भरा हुआ आवेदन का भाग II जिसके प्रत्येक पेज पर निविदाकार/रों द्वारा हस्ताक्षर किया गया हो। लिफाफा सीलबंद हो और उसके उपर “जरीपटका शाखा परिसर के लिए वित्तीय बोली (अनुलग्नक बी के अनुसार)” यह लिखा गया हो। साथ ही लिफाफे पर निविदाकार/रों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर भी लिखा हो।